न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 117/2020
3. उनवान : सरकार जरिये रामचन्द्र शेरावत प्रवर्तन निरीक्षक
   बनाम
   इमरान पुत्र सुलेमान निवासी सर्वे नम्बर 41, शिवाजी नगर कच्ची बस्ती, माताजी के मन्दिर की गली, शास्त्री नगर, जयपुर, मालिक फर्म
4. निर्णय दिनांक : 06.07.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री असलम अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक जयपुर श्री रामचन्द्र शेरावत द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि दिनांक 14.04.2012 को श्री माधोसिंह एएसआई पुलिस थाना भट्टा बस्ती के अवगत कराने पर पुलिस व रसद विभाग के संयुक्त जांच दल के साथ अप्रार्थी के मकान नं. 648, माताजी की गली, शिवाजी नगर, कच्ची बस्ती, शास्त्री नगर पंहुचे। मौके पर अप्रार्थी एक घरेलू गैस सिलेण्डर से छोटे नोन आईएसआई सिलेण्डर में पीतल की बांसुरी द्वारा गैस अन्तरण करता हुआ पाया गया। सिलेण्डर का वजन करने पर केवल 700 ग्राम गैस पायी गयी। इसके अतिरिक्त 14.2 किग्रा क्षमता के कुल 6 घरेलू गैस सिलेण्डर(3आईओसी+2बीपीसी+1एचपीसी) एवं 23 नोन आईएसआई के खाली छोटे सिलेण्डर मिले। 4 नोन आईएसआई मार्का सिलेण्डरों मे 9.500 किग्रा. एलपीजी पायी गयी। इस प्रकार अप्रार्थी पर जब्ती की कार्यवाही कर कुल 7 घरेलू व 27 छोटे नोन आईएसआई सिलेण्डर मय 66.800 किग्रा. एलपीजी, 3 नोन आईएसआई निशा मार्क रेग्यूलेटर, 8 पीतल की बांसुरी, एक गैस सिलेण्डर तौलने की मशीन गोल्ड मार्का, एक पेचकस, एक पलास एवं 123 सिलेण्डरों के सेफ्टी कैप को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त सिलेण्डरों के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये ना ही इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री असलम ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी द्वारा नोटिस सम्यक रुप से तामील होने के बावजूद जवाब भी पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

विभागीय प्रार्थना पत्र को ही सरकार की ओर से लिखित बहस के रुप में स्वीकार करने की लिखित में सहमति दी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी / अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 06.07.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 14.04.2012 को अप्रार्थी के मकान पर जांच कार्यवाही कर कुल 7 घरेलू(3आईओसी+3बीपीसी+1एचपीसी) व 27 छोटे नोन आईएसआई सिलेण्डर(4 भरे व 23 खाली) मय 66.800 किग्रा. एलपीजी, 3 नोन आईएसआई निशा मार्क रेग्यूलेटर, 8 पीतल की बांसुरी, एक गैस सिलेण्डर तौलने की मशीन गोल्ड मार्का, एक पेचकस, एक पलास एवं 123 सिलेण्डरों के सेफ्टी कैप जब्त किये। उक्त सामग्री अवैध रुप से घरेलू गैस सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डरों में एलपीजी गैस भरने हेतु उपयोग में लाये जा रहे थी। अप्रार्थी मौके पर एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में बांसुरी की सहायता से गैस का अन्तरण करता हुआ पाया गया। अप्रार्थी ने मौके पर सिलेण्डरों से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये ना ही आज दिनांक तक न्यायालय के समक्ष पेश किये। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रुप से क्रय–विक्रय, भण्डारण एवं नोन आईएसआई मार्का के छोटे सिलेण्डरों में अवैध रुप से गैस स्थानान्तरित कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के खण्ड 3/7 का उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। चूंकि प्रार्थी द्वारा जब्त सिलेण्डर अवैध थे और जब्तशुदा सामग्री बाबत किसी अन्य ने भी क्लेम नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 7 घरेलू(3आईओसी+3बीपीसी+1एचपीसी) व 27 छोटे नोन आईएसआई सिलेण्डर(4 भरे व 23 खाली) मय 66.800 किग्रा. एलपीजी, 3 नोन आईएसआई निशा मार्क रेग्यूलेटर, 8 पीतल की बांसुरी, एक गैस सिलेण्डर तौलने की मशीन गोल्ड मार्का, एक पेचकस, एक पलास एवं 123 सिलेण्डरों के सेफ्टी कैप शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर शहर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(Court of the Addl. Collector & Add. District Magistrate - III, JAIPUR)

32

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर